

(अंग्रेजी प्रेस विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद)

पीपल फर्स्ट

4/142, सुथंथिरापोनविला नगर

वेणुगोपालस्वामी नगर 2nd स्ट्रीट

पार्वतीपुरम

नागरकोडल 629 003

एम जी देवसहयम आईएस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष

डी .थॉमस फ्रेंको
संयुक्त संयोजक

प्रेस विज्ञप्ति

सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी धारकों द्वारा दायर एलआईसी आईपीओ के खिलाफ रिट याचिका को स्वीकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर में पॉलिसी धारकों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या WP©366/2022 को स्वीकार किया, जिसका प्रतिनिधित्व श्री थॉमस फ्रेंको राजेंद्र देव और अन्य ने किया था।

यह मामला कल के लिए सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री एस प्रसन्ना और वरिष्ठ परिषद डॉ इंदिरा जयसिंह उपस्थित हैं।

याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना है

A. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (जैसा कि जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम 2011 द्वारा संशोधित) की धारा 5 को निगम की पूंजी की सीमा तक शून्य और निष्क्रिय घोषित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट याचिका जारी करना 'इक्विटी पूंजी' के रूप में विशेषता है

B. वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 130,131,134 और 140 और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4,5,24 विज्ञापन 28 (वित्त

अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित) की घोषणा करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 14 अल्ट्रा वायर्स होने के कारण शून्य और निष्क्रिय के परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें।

- C. वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय VI के भाग III को वित्त विधेयक, 2021 को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए शुरू से ही शून्य घोषित करने के लिए आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जो कि भारत का संविधान अनुच्छेद 110 के उल्लंघन और अल्ट्रा वायर्स का उल्लंघन है।
- D. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 4,5, 24 और 28 के आधार पर या उसके आगे कोई कदम नहीं उठाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को निर्देश देते हुए जीवन बीमा निगम की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें।
- E. इस माननीय न्यायालय के परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को SEBI, IRDAI और आम जनता सहित अधिकारियों को सभी आवश्यक संचार तुरंत जारी करने का निर्देश दिया गया है कि जीवन बीमा निगम की चल रही प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश को देखते हुए रद्द कर दिया गया है।

आपका,

डी. थॉमस फ्रेंको

संयुक्त संयोजक, पीपल फर्स्ट

ngcfranco@gmail.com